बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज (गया)
अति अल्पकालीन पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना संख्या– 05/2023–24

पत्रांक – 83 वजीरगंज/दिनांक – 18/01/24

1. कार्य का विवरण :–

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मुल्य (अप्रत्यपर्णीय) (रू0 में)	कार्य समाप्ति की तिथि
1	वजीरगंज स्थित निरीक्षण भवन का सुचारू संचालन/ संधारण/ सामान्य रख–रखाव कार्य।	3.10026	6300.00	750.00	10 मार्च 2024
2	वजीरगंज स्थित E–टाईप आवासीय शिविर का आवश्यक मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य। (E–1, E–2, E–3, E–4, E–5, E–6, E–7 एवं E–8)	12.05769	24200.00	2500.00	10 मार्च 2024
3	वजीरगंज स्थित D–टाईप एवं C–टाईप आवासीय शिविर का आवश्यक मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य। (D–1, D–2, D–3, D–4 एवं C–टाईप)	7.27291	14600.00	1250.00	10 मार्च 2024

2. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगज।
3. निविदा आमत्रंण सूचना निर्गत करने की तिथि :– दिनांक–18.01.2024
4. परिमाण विपत्र बिकी करने की तिथि एवं समय :– दिनांक– 25.01.2024 से दिनांक– 29.01.2024 तक कार्यालय कार्यावधि में 3:00 बजे अपराहन् तक।
5. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :– दिनांक– 31.01.2024 3:00 बजे अपराहन् तक।
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि, समय एवं स्थान :– दिनांक– 31.01.2024 3:30 बजे अपराहन् कमांक 7 पर अंकित स्थान पर।
7. परिमाण विपत्र बिकी करने का स्थान :–
   1. कार्यपालक अभियंता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज।
   2. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, गया।
   3. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, गया।
8. परिमाण विपत्र प्राप्ति का स्थान :– कमांक 7 पर अंकित सभी स्थानों पर।
9. वित्तीय बीड खोलने की तिथि :– सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार स्थान, तिथि एवं समय की सूचना बाद में तकनीकी बीड में सफल निविदादाताओं को दी जाएगी।

निविदा नियमों शर्त्तो एवं विशेष जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा तथा निविदा प्रपत्र की ब्रिकी के स्थानों पर सम्पर्क किया जा सकता हैं।

18.01.2024

(ई0 अजीत कुमार)
कार्यपालक अभियंता
तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज, गया।

नियम एवं शर्ते :–

1. विभाग द्वारा निर्गत पहचान पत्र या अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा दस्तावेज (परिमाण विपत्र) निर्गत किया जाएगा, साथ ही कार्यपालक अभियंता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज के पदनाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से ड्राफ्ट के रूप में निर्गत एवं कार्यपालक अभियंता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज के पदनाम से गया शाखा में भुगतेय हो, मुल में कार्यपालक अभियंता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज/ अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, गया/ मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, गया के कार्यालय में परिमाण विपत्र खरीदते समय जमा करना आवश्यक होगा, परिमाण विपत्र का मूल्य जो लौटाया नही जायेगा।

2. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोत्तरी या वढोत्तरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की देय राशि संशोधित समझी जायेगी।

3. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में विभाग द्वारा निबंधन पत्र में अंकित नाम से निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवा निर्गम), डाकघर सावधि जमा 1/2/3 वर्षीय पासबूक/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत सावधि जमा पासबुक एवं बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के कंडिका में 161 में वर्णित अग्रधन मान्य होगा, जो न्यूनतम अगले 06 माह के लिए मान्य हो एवं **कार्यपालक अभियंता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज** के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित होना चाहिए, ही मान्य होगा।

4. अधोहस्ताक्षरी/विभाग को बिना कारण बताए निविदा को स्थगित/ विस्तारित/ रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

5. निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर संवेदक को हस्ताक्षर करना है तथा सभी मुहरबन्द लिफाफे पर ग्रुप संख्या एवं अपना पूरा पता मोबाईल संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।

6. निविदा निम्न लिफाफा प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त की जायेगी।

(क) प्रथम मुहरबन्द लिफाफा (सील बन्द) में प्री क्वालिफिकेशन बीड रहेगा, जिसमें निम्नलिखित कागजात होगें:–

(a) कार्य से संबंधित समुचित रूप में अग्रधन की राशि अनिवार्य होगा।
(b) संवेदक का अपना अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित) अनिवार्य होगा।
(c) जी० एस० टी० निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित)।
(d) पैन कार्ड की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित)।
(e) आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित)।
(f) जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक–124 दिनांक– 04.02.2021 के आलोक में जिला पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (स्वहस्ताक्षरित)।
(g) निम्न आशय का मूल शपथ–पत्र (Affidavit) निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
  (i) यह कि मेरे विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायलय में विचारीधीन नही है।
  (ii) यह कि मुझे किसी सरकारी/ अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar, Blacklisted) अथवा विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नही किया गया है।
  (iii) यह कि मेरा कोई निकटतम संबंधी (संबंधी से अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष से संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता/ कार्यपालक अभियंता/ लेखपाल के रूप में कार्यरत नही है।
  (iv) **"I, the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R and lawful punishment as well as black listing."**

(ख) द्वितीय मुहरबन्द लिफाफे में वित्तीय बीड रहेगा :–

जिस पर संवेदक अपना दर अंकित करेगें, जो दशमलव के बाद दो अंको तक ही मान्य होगा। निविदादाता के द्वारा जो दर अंकित किया जायेगा, वह सुस्पष्ट तथा अंक एवं शब्द दोनो में अंकित करना होगा।

इस दोनो मुहरवन्द लिफाफों को एक तीसरे मुहरबन्द लिफाफे में रखकर ही निविदा डाली जाएगी। यह तीनों लिफाफा विधिवत् सील होना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जाएगी।

7. निविदत दर की न्यूनतम सीमा के संबंध में पथ निर्माण विभाग, पटना के 4439(E) Date- 17.07.2023 एवं जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–536 दिनांक– 18.07.2023 के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा cwjc No- 9941/2022 Date- 06.07.2023 को पारित आदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा।

8. निविदा दर Seriuous Unbalanced Rate होने की स्थिति में Additional Performance Guarantee पथ निर्माण विभाग, पटना की अधिसूचना सं0 447(S) दिनांक– 16.01.2020 सह–पठित– ज्ञापांक– 448(S) दिनांक– 16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा।

9. तकनीकी बीड में कई सफल निनिदादाताओं का समान न्यूनतम निविदत दर अंकित होने की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 में प्रावधान के अनुरूप लौटरी के माध्यम से किया जायेगा।

10. बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 13589 (S) पटना, दिनांक 13.12.2011 की कंडिका (4) के उप कंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रूपये 25.00 लाख तक के कार्यो के निविदा में श्रेणी–4 में गया जिलान्तर्गत निबंधित ही भाग ले सकेगें।

11. निविदा के पुर्व निविदादाता कार्यस्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट होकर ही निविदा डालेगें अन्यथा कार्य के दौरान या इसके बाद उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

12. सफल निविदाकार को प्रपत्र F2 (कंडिका 23 विलोपित) पर एकरारनामा करना होगा।

13. सरकार के परिपत्र एवं आदेश के आलोक में जी0एस0टी0, आयकर, रॉयल्टी, मालिकाना फीस, लेवर सेस एवं अन्य अनुमान्य करों की कटौती की जाएगी एवं भुगतान के समय जी0एस0टी0 सफाया पत्र (GSTR-3B) अधतन रहने की स्थिति में ही भुगतान की प्रकिया की जायेगी।

14. कार्य में प्रयुक्त लघु खनिज की ढुलाई (carriage) के सत्यापन हेतु संवेदक द्वारा E-Challan समर्पित करने के उपरान्त ही उनको इस मद का भुगतान किया जाएगा।

15. अस्पष्ट एवं सर्शत निविदा मान्य नही होगा।

16. निविदा निष्पादन के दौरान उन निविदा कारों को कार्य आवंटन से वंचित रखा जाएगा जिनके विरुद्ध विभाग से कालीकरण की कार्रवाई चल रही है, या कार्यकलाप संदेहास्पद हो या इस प्रमंडल में पूर्ण किये कार्य संतोषप्रद नही हैं ।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता
तिलैया नहर प्रमडल, वजीरगंज

पत्रांक :– 82

वजीरगंज/दिनांक:– 18/01/24

प्रतिलिपि :– सूचना एवं जन सर्म्पक पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को एक प्रति एवं एक सी0 डी0 के साथ सूचनार्थ एवं लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु समर्पित।

16.01.2024
कार्यपालक अभियंता
तिलैया नहर प्रमडल, वजीरगंज